Lekj&i=

पटना–800001

दिनांक: 16.04.1989

प्रेषक :– सोन नहर किसान संघर्ष समिति,

2/3, आर.ब्लॉक, पटना–800001

प्रषित :– श्री बी शंकरानन्द

मंत्री, जल संसाधन विभाग

भारत सरकार, नयी दिल्ली।

115 वर्ष पुरानी सोन नहरें बिहार में कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था की रीढ़ है। बिहार के कुल खाद्यान उत्पादन का एक तिहाई से अधिक अनाज सोन अंचल में पैदा होता है और नहरों के पानी पर ही इस अंचल के पांच जिलों– भोजपुर, रोहतास, आरंगाबाद, जहानाबाद और पटना – को एक करोड़ से अधिक जनता को खुशहाली और रोजी–रोटी निर्भर है। परन्तु घोर दुःख एवं क्षेभ के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति और केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की मिलीभगत के चलते कृषि एवं सिचाई व्यवस्था की यह रीढ़ टूट चुकी है। एक ओर मरम्मत के अभाव के अभरव में ये नहरें जोर्ण–शीर्ण हो गयी हैं और अन्तिम छोर तक पानी पहुचाने लायक नहीं रह गयी है, तो दूसरी ओर सोन नदी से इन नहरों को मिलने वाले पानी निरन्तर घटते जा रही है।

पिछले 15 वर्षों से किसानों को खेतो के लिये जरूरत के समय पूरा पानी नहीं मिल रहा है और हर साल रब्बी और खरीफ की फसलों को भारी क्षति पहुच रही है। इस साल तो स्थिति यह हो गयी है कि पानी नहीं मिलने के कारण धान के लहलहाते पौंधे खेतों में सूख रहे है। एक ओर पौंधों में धान की बालियां फूट रही हैं, तो दूसरी ओर उनके जड़ों के नीचे खेतों में दरारे फट रही है। धान की फसल तो गयी ही, मिट्टी में नमी खतम हो जाने क कारण रब्बी की बुआई भी नहीं हो पायेगी। अगली फसल की उम्मीद में अपना सब कुछ खेतों में झोंक देने वाले किसान के दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं।

महोदय, 1960 के दशक तक सोन अंचल की खोती मानसून पर कम और सोन नहरों पर ज्यादा निर्भर थी। मानसून के धोखा देने पर बोये गये क्षेत्र के क्षेत्रफल में बहुत अधिक अन्तर नहीं होता था। प्रथम सिंचाई आयोग की रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि 1966–67 के भीषण अकाल में भी सोन नहरों से पर्याप्त जलापूर्ति बनी रही थी और बाये गये क्षेत्र पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। उदाहरण के लिये इस इलाके में वर्षा का औसत 44 इंच है, पर 1966–67 के अकाल में औसतन केवल 22 इंच हीं वर्षा हुई। फिर भी 1966–67 में 18 लाख एकड़ क्षेत्र बोया गया था, जबकि इसके पहले और बाद के वर्षों में 1966–67 में 18 लाख एकड़ क्षेत्र बोया गया था, जबकि इसके पहले और बाद के वर्षों में क्रमशः 18.96 और 18.55 लाख एकड़ बोया गया था।

1966–67 के अकाल और अनावृष्टि वाले वर्ष में भी बिहार को रिहन्द से 68.67 लाख एकड़ फीट पानी मिला था और जून में औसतन 7600 क्यूसेक, जुलाई में औसतन 7500 क्यूसेक, अगस्त में 5000 क्यूसेक और सितम्अर में 6000 क्यूसेक पानी का प्रवाह निहन्द जलाशय से नियमित और इन्द्रपुरी बराज पर नापा गया था। मगर गत वर्ष। से 10 जुलाई के बोय करीब 19,315 क्यूसेक प्रवाह इन्द्रपुरी बराज पर नापा गया था। मगर गत वशर्र इस अवधि में यह प्रवाह 500 क्यूसेक प्रवाह इन्द्रपुरी बराज पर नापा गया था। मगर गत वर्ष इस अवधि में यह प्रवाह 500 क्यूसेक से ज्यादा नहीं था। इस वर्ष तो इन्द्रपुरी बराज पर इतना पानी ही नहीं है कि नहरों में दिया जा सके।

आखिर गत 15 वर्षों में ही ऐसी स्थिति क्यों हो गयी वस्तुतः 1962 के पूर्व सोन नदी के सम्पूर्ण जल का उपयोग बिहार के सोन अंचल की सिंचाई के लिये ही होता था। इसके लिये डिहरी के पास सोन नदी पर 12,469 फूट की लम्बाई का एनोकट बनाकर वहां से सोन नदी के दोनों ओर नहरे निकाली गयी। इन नहरों की क्षमता सोन अंचल के समस्त कृषि योग्य भूमि तक पानी पहुंचाने लायक नहीं था। सोन नहरों का सकल सिंचित क्षेत्र करीब 22.50 लाख एकड़, ऑका गया था। अतिरिक्त भूमि को संचित करने के लिये अतिरिक्त जल की तो जरूरत थी ही, इसका भार वहन करने के लिये नहरों का ढ़ांचा मजबूत करने और नहर का विस्तार करने की जरूरत भी थी।

ऐसी स्थिति में जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1962 में जल विद्युत निर्माण के लिये सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहन्द पर जलाशय निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो तत्कालीन बिहार ने इस पर आपत्ति दाखिल कर दिया। कारण कि इससे सोन नहरों को मिलने वाले पानी में रूकावट आती और पानी की मात्रा में कमी आती।। खास कर रब्बी और गरम फसलों के लिये नहरों में पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। ऐसे समय में जब सोन नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र में विस्तार की जरूरत थी और इसके लिये अतिरिक्त जल जरूरत थी, वैसी हालत में सोन नदी का जलप्रवाह अवरूद्ध करने वाले किसी भी योजना के खिलाफ आपत्ति उठाना बिहार के हित में था।

बिहार सरकार ने यह आपत्ति तभी वापस लिया, जब उसे रिहन्द पनबिजली परियोजना प्रतिवेदन के संबंधों का हवाला देते हुये आश्वस्त किया गया कि सोन नहरों के लिये पर्याप्त जलापूर्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये रिहन्द जलाशय से 6000 क्यूसेक पानी का प्रवाह नियमित और निरन्तर बरकरार रखी जायेगा। तदनुसार वहां पर जल विद्युत निर्माण के लिये बेसलोड यूनिट की स्थापना की गयी। यह युनिट निरंतर चौबीसी घंटा चलते रहने वाली थी, ताकि 6000 क्यूसेक पानी का प्रवाह बना रहे। इसके कारण बिहार में रब्बी एवं गरमा फसलों के लिये भी पानी की निश्चिन्तता हो गयी।

इसके बाद जल का अधिकतम क्षमता के साथ उपयोग करने और अतिरिक्त भूमि तक गारन्टी के साथ पानी पहुचाने के लिये पुरानी का पुनर्निरूपन और डिहरी से पांच मील उपर इन्द्रपुरी में एक बराज बनाने का काम बिहार सरकार ने किया। नतीजतन 3 लाख एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई सुविधा बढ़ी। इसके बावजूद सकल क्षेत्र में और खासकर नहरों के अन्तिम छोर वाले इलाके तक पानी पहुंचाने की क्षमताविकसित नहीं की जा सकी। इस तरह नहरी क्षेत्र के विस्तार और इसके लिये अतिरिक्त जल की आवश्यकता अब भी बनी रही।

इस बीच मध्य प्रदेश में सोन की सभी सहायक नदियों पर जलाशय बनाकर इनके जल का उपयोग सिंचाई के लिये करने की योजनाओं पर काम शुरू हो गया। इन सबका सीधा कुप्रभाव सोन नहरों के लिये प्राप्त होने वाले जल की मात्रा पर पड़ता निश्चित था। फलतः 16 सितम्बर, 1973 के दिन सोन नदी जल के उचित बंटवारे के लिये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ। जिसे बाणसागर समझौता के रूप में जान जाता है।

इस समझौते में आंका गया कि सोन नदी में औसत वार्षिक जलोपलब्धि 142.50 लाख एकड़ फीट है। इसमें से बिहार को 55.50 लाख एकड़ फीट उत्तर प्रदेश को 12.50 लाख एकड़ा फीट और मध्य प्रदेश को 42.50 लाख एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया। समझौता में यह उल्लेख किया गया कि सोन में पानी की मात्रा इससे कम होने की स्थिति में भी बिहार में पुरानी सोन रहरों के लिये 50 लाख एकड़ फीट पानी का आपूर्ति सर्वोच्य प्राथमिकता के आधार पर बनी सोन नहर प्रणाली के लिये आवंटित 50 लाख एकड़ फीट पानी को बरकरार रखते हुये ही अन्य राज्यों

के साथ सामानुपातिक रूप से कटौती होगी।

समझौते के मुताबिक 77.50 लाख एकड़ फीट बिहार की बाणसागर जलाशय से और शेष 67.30 लाख एकड़ फीट पानी उसके नीचे सोन की मुख्य धारा एवं अन्य सहायक नदियों से मिलेगा, जिसमें रिहन्द भी शामिल है। रिहन्द में औसत वार्षिक जलप्रवाह 30 लाख एड़ फीट भी हो जाता है और बढ़ने पर अधिकतम 60 लाख एकड़ फीट पहुंच जाता है। अगर स्वीकृत परियोजना तथा बिहार को दिये गये आश्वासन के अनुसार 6000 क्यूसेक पानी का प्रवाह रिहन्द से निरंतर कायम रहे, तो भी साल भर में बिहार की इससे लगभग 44 लाख एकड़ फीट पानी मिल सकता है, जो बिहार की 115 साल पुरानी सोन सिंचाई प्रणाली के लिये भी पर्याप्त नहीं होगा। पुरानी सोन नहर प्रणाली की न्यूनतम आवश्यकता 60 लाख एकड़ फीट आंठी गयी है। 1962 में जबसे रिहन्द जलाशय परियोजना तैयार हुई और इसके आधार पर इन्द्रपुरी में सोन बराज बना और नहर प्रणाली का रिमालिंग किया गया तबसे बिहार इस पूरे जल की उपयोग में ताला रहा है।

परन्तु 15 वर्श पूर्व जल 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1550 मेगावाट क्षमता का ओबारा ताप विद्युात केन्द्र एवं 99 मेगावाट क्षमता का ओबारा जल विद्युत केन्द्र स्थापित किया गया और इनकी जलापूर्ति के लिये रिहन्द जलाशय के नीचे ओबारा जलाशय का निर्माण किया गया, तबसे सोन नहरों के हिस्से के पानी में अवैध यप से कटौती शुरू की गयी। इन विद्युत केन्द्रों की आवश्यकता पूरा करने के लिये जिस 6.50 लाख एकड़ फीट की आपूर्ति की जाने लगी वह भी सोन अंचल के पानी से ही अबतक की जा रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने पहले तो रिहन्द्र में जल विद्युत निर्माण की बेसलोड इकाई को बदलकर पोंकांग इकाई कर दिया। ज्ञातव्य है कि पोंकोंग इकाई निरंतर नहीं चलती है, बल्कि सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार दिन भर में कुछ घंटे चलती है। इकाई के बन्द रहने से जल प्रभाव भी बन्द रहता है। आगे चलकर उत्तत प्रदेश ने इसे सीजनल इकाई का रूप देने का निर्णय कर लिया। अर्थात अब बरसात के दिनों से जब जलप्रवाह जरूरत से ज्यादा रहेगा तभी यह इकाई चालू रहा करेगी। ऐसी हालत में रिहन्द जलाशय से प्रभावित जल का कोई उपयोग बिहार के लिये नहीं है। इस तरीके से रिहन्द से मिनलेवाला बिहार के हिस्से का जल उत्तर प्रदेश रोके रहता है और मनमाना ढंग से छोड़ता है। रिहन्द नियंत्रण बोर्ड पर बिहार का कोई बस नहीं है।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर सिगरौली कोयला क्षेत्र में जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन प्रस्तावित, निर्मित या निर्माणाधीन है, उनकी मशीनों को ठंढ़ा करने, आवासीय कॉलनियों के लिये जल देने आदि कार्यों के लिये रिहन्द जलाशय से ही पानी लिया जाना निश्चित हुआ है। यद्यपि बिहार बाणसागर समझौता में एक पक्ष है, फिर भी बिना बिहार को सूचना दिये सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिये पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गयी है। यह उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार की मिलीभगत से हुआ है। जब सुपर थर्मल पावर स्टेशन की सभी इकाईयां चालू हो जायेगी, तब इन्हें 25 से 30 लाख एकड़ फीट पानी की जरूरत होगी। चूंकि रिहन्द जलाशय की न्यूनतम जलोपलब्धि 19 लाख एकड़ फीट और औसतन जलोपलब्धि 30 से 40 लाख एकड़ फीट आंका गया है। इसलिये थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा उपयोग के बाद रिहन्द से गिहार के लिये एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। अब तो गत 28 फरवरी 89 को हुयी बाणसागर कंट्रोल बोर्ड की बैठक में तय हो गया कि रिहन्द जलाशय को पानी, ताप, बिजली घरों को दी जायेगी। एक ओर बिहार में कटौती हो रही है तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश आवंटन से अधिक पानी का इस्तेमाल कर रहा है। बाणसागर समझौता से उत्तर प्रदेश को सिर्फ 12.50 लाख एकड़ फीट पानी मिला है। इसमें 10 लाख एकड़ फीट पानी निर्माणाधीन जलाशय से और 2.50 लाख एकड़ फीट पानी कनहर नदी से लेना है। मगर अभी से वह ओबरा जलाशय से 6.50 लाख एकड़ फीट पानी लेने लगा है और निर्माणाधीन बाणसागर जलाशय से भी 10 लाख एकड़ फीट का दावेदार बना हुआ है। यह समूचा पानी बिहार के हिस्से का ही है।

वाणसागर समझौता में भी बिहार के साथ पक्षपात हुआ है। केन्द्र सरकार की विशेषज्ञ टीम का आकलन था कि सम्पूर्ण सोन अंचल के लिये 105.80 लाख एकड़ फीट पानी की आवश्यकता है, मगर बिहार को मिला है केवल 77.50 लाख एकड़

फीट पानी। राज्यों के लिये पानी की आवश्यकता की गणना के दौरान जहां बिहार की उपजाऊ भूमि को फसल क्षमता 85 प्रतिशत आंकी गई है, वीं मध्य प्रदेश की पथरीली जमीन का 165 प्रतिशत फसल क्षमता के मुताबिक पानी दिया गया है। इसके अलावे मध्य प्रदेश को स्टोन घाटी का पानी टोंस घाटी मे ले जाकर पनबिजली बनाने की छूट भी दी गई है, जो कि स्वीकृत जल वितरण नियमों के खिलाफ है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केन्द्र सरकारों के सम्मिलित ष्ड्यंत्र से बिहार को जरूरत से काफी कम पानी दिया गया और जो हिस्सा उसमें भी व्यावधान डालकर कटौती की जा रही है। यही कारण है कि आज सोन नहरें पानी के लिये तरस रही हैं और खेतों में खड़ी फसल सूख रही है। हालत में सुधार नहीं, हुआ, तो वह दिन दूर नहीं, जब सोन नहरों को सोन नदी से अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा।

आज सोन नहरें की हालत ऐसी बुरी है कि ये खतों तक पानी पहुंचाने लायक नही रह गयी हहै। राज्य सरकार पिछले 10 साल से आश्वासन दे रही है कि शीघ्र ही विश्व बैंक की सहायता से नहरों का आधुनिकीकरण होने वाला है। पर सच्चाई है कि इस योजना को अभी तक केन्द्र सरकार से स्वीकृति भी नहीं मिली है। यही नहीं इसे केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक सहायता की प्राथमिकता सूची से भी हटा दिया है। इसलिये इस योजना के भरोसे बैठे रहने से आधुनिकीकरण का कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा।

सोन नदी आयोग था तो किसानों को उम्मीद थी, कि उन्हें आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा, इसे भी केन्द्र सरकार ने इस साल विघटित कर दिया और वह भी बिना बिहार सरकार को सूचना दिये। परन्तु बिहार सरकार इस पर भी मौन साधे हुयी है।

सोन क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाने से खतिहर मजदूरों के सामने भी रोजी रोटी का संकट उपस्थित हो गया है, क्योंकि उनकी आजीविका पूरी तरह खेती पर ही निर्भ है।

यह स्थिति तो तब है, जब अभी तक बाणसागर बांध का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। बाणसागर बांध बन जाने पर तो सोन की मुख्य धारा का प्रवाह भी अवरूद्ध हो जायेगा और रहा सहा पानी से भी बिहार वंचित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में सोन नहरी क्षेत्र की 22.5 लाख एकड़ भूमि का क्या होगा। इसके सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था कैसे होगी, अथवा इसके भाग्य और भगवान के सरोसे रेगिस्तान में बदल जाने के लिये छोड़ दिया जायेगा।

तीन नहरी क्षेत्र की जनता के लिये ये अहम सवाल जीवन–मरन के प्रश्न तो है ही, पूरे बिहार के लिये भी चिन्ता के विषय हैं। कारण कि सोन नहरें बिहार में कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था की रीढ़ है। आजादी के बाद अरबों रूपया खर्च कर बनायी जानेवाली कुल मध्यम एवं वृहद श्रेणी की सिंचाई योजनाओं को मिलाकर जितना क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हमारी सरकार कर सकी है, उतने क्षेत्र की सिंचाई इस सौ बरस पुरानी नहर प्रणाली से अकेले होती है। राज्य के कुल उत्पादन का करीब एक तिहाई भाग भी इसी इलाके से आता है। ऐसी स्थिति में सोन नहरों का सवाल पूरे बिहार की समृध्दि और प्रगति के साथ जुड़ा है। इसकी और अधिक उपेक्षा घातक सिद्ध होगी। सरकारी सूत्रों और जानकर विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है कि इन्द्रपुरी बराज पर निर्भर सोन नहर प्रणाली के लिये पर्याप्त तथा समयानुकुल पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये बिहार का एक अपना जलाशय होना आवश्यक है, जिसमें बरसात के दिनों में फालतू बह जाने और बाढ़ की बिनाशलीला में योगदान करने वाले पानी को एकत्र कर रखा जाय और जरूरत के मुताबिक इसे सिंचाई के लिये नहरों में छोड़ा जाय।

पलामू जिला के कधवन के पास ऐसा जलाशय बनाने के लिये बिहार के अभियंता काफी पहले से सुझाव देते आ रहे हैं। सो नदी आयोग भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है और अपनी रिपोर्ट में इसकी अनुशंसा किया है। परन्तु उत्तर प्रदेश की आपति के कारण कवधन जलाशय निर्माण की स्वीकृति केन्द्र से नही मिल रही है। चाहिये तो यह था कि वाणसागर जलाशय में पूंची फंसाने के बदले केन्द्र सरकार पर दबाव डालकर कवधन जलाशय का निर्माण करा लिया

गया होता। परन्तु हमारे राजनेता या तो इसमें सफल ही नहीं हुये या उन्होंने इस दिशा में प्रयास ही नहीं किया। अब तक चुप रहकर और केन्द्र सरकार के इसारे पर नाचकर हमारे राजनेताओं ने बिहार के हितों के साथ तो छल किया है, उसी का कुपरिणाम आज हमारे सामने आ रहा है। हमारे पदलोलुप राजनेता भले ही चुप्पी साधे रहें, पर सोन अंचल की जनता अब चुप नहीं रहने वाली है। ''सोन नहर किसान संघर्ष समिति'' की अगुंवाई में सोन अंचल के किसान अब संगठित होकर संघर्ष का बिगुल बजा रहे हैं। सोन अंचल के किसानों की मांगे निम्नलिखित हैं :–

1. वाणसागर समझौता को संबोधित किया जाय और सोन नदी से बिहार के सोन अंचल की आवश्यकता को पूरा पानी दिया जाये। इस समझौता के उत्तर प्रदेश द्वारा उल्लंघन पर रोक लगे।
2. कधवन जलाशय का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाय और इसके लिये धन की व्यवस्था केन्द्र सरकार करे। यह कार्य आधुनिकीकरण परियोजना के अंग के रूप में प्राथमिकता देकर पूरा किया जाय। इस संबंध में उत्तर प्रदेश की आपति रद्‌द की जाय।
3. रिहन्द जलाशय से बिहार के हिस्से का पूरा पानी लिया जाय। उत्तर प्रदेश को सोन घाटी से बिहार के हिस्से का पानी लेने से रोका जाय। रिहन्द घाटी में ताप बिजली घरों का निर्माण बन्द किया जाय और इसमें हो रहे बिहार के हिस्से के पानी को भरपाई उत्तर प्रदेश वाणसागर जलाशय के अपने हिस्से से करे।
4. सोन नहरों के आधुनिकीकरण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाय, चाहे विश्व बैंक की सहायता मिले या न मिले। प्रथम चरण में नहरों का पुनर्वास कार्य पूरा किया जाय।
5. गंगा नदी के जल का सोन अंचल में उपयोग करने की वृहद योजना बनीयी जाय और गंगा–सोन लिंक नहर का निर्माण किया जाय। दुर्गावती जलाशय योजना को भी शीघ्र पूरा किया जाये।
6. सोन नदी आयोग को पुर्नवास किया जाय और इसे वैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाय।
7. जल संसाध विकास नीति के प्रावधान के मुताबिक पुरानी सिंचाई व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं आने दिया जाय, बल्कि उसके सर्वांगीण विकास को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाये और सम्पूर्ण सोन अंचल में सालाना तीन फसलों के लिये आवश्यक पानी की व्यवस्था सालों भर की जाय।
8. सोन नहरों में नौ–परिवहन व्यवस्था पुनः स्थापित की जाय और सोन अंचल में कृषि–आधारित उद्योगों के लिये समुचित जल की व्यवस्था की जाय।
9. इस वर्ष पानी के अभाव से किसानों को फसलों को होन वाली क्षति का पूरा मुआवजा दिया जाय तथा पनीवट और मालगुजारी माफ किया जाय।
10. सम्पूर्ण सोन अंचल को अकालग्रस्त क्षेत्र घाषित कर खेतिहर मजदूरों के लिये अविलम्ब राहत की व्यवस्था की जाये।

अपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मांगों की पूर्ति के लिये शीघ्र आवश्यक कदम उठायें ताकि सोन अंचल की सुनिश्चिता सिंचाई को बर्वाद होने से बचाया जा सके।

विश्वासभाजन

सत्यनारायण

वास्ते– सोन बिहार नहर किसान संघर्ष समिति

2/3, आर. ब्लाक, पटना–80001ए बिहार